फाइल सं. ए.12018/55/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 28/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 28/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल, (समूह'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1985 का, दिनांक 31.03.1986 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशन के अनुसार जहां तक इसका संबंध निम्न श्रेणी लिपिक सह टंकक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल, निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **आवेदन** : ये नियम इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
निम्न श्रेणी लिपिक ।	04* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-36200रु.) ।	अचयन पद ।	18-27 वर्ष के बीच केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नोटः आयु सीमा निर्धारित करने की	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष। 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द शब्द प्रति मिनट (प्रति शब्द 5 कुंजी की डिप्रेशन की औसत से 35 और 30 शब्द प्रति मिनट अनुरूप 10500 कुंजी की	लागू नही होता।	दो वर्ष ।	(i) एसएससी के माध्यम से 85% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10% रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में समूह ग स्टाफ के बीच से भरी जाएंगी और जिनके पास 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष योग्यता है और उन्होंने विभाग योग्यता परीक्षा के आधार पर ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा प्रदान की है।

					महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। (जहां भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं होती है, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।)	डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 कुंजी की डिप्रेशन प्रति घंटा) नोट 1. अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर छूट दी सकती है। नोट 2: अ.जा/अ.ज.जा वाले उम्मीदवार के मामले में सक्षम प्राधिकारी अर्हता शिथिल करने योग्य है, यदि चयन किसी भी चरण पर सक्षस प्राधिकारी का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा/अ.जन.जा लिए 50 वर्ष की आयु)। नोट: यदि परीक्षा में खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे उत्तीर्ण कर्मचारी हैं, तो बाद के वर्षों में सृजित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा, ताकि पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए जो बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। (iii) 5% रिक्तियां समूह ग के

									कर्मचारियों से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर भरी जाएंगी, जिनके पास वेतन स्तर 1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा है

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
स्तंभ 10 में यथा-उल्लिखित	विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं होता।

	1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा - सदस्य		

फा.सं. ए.12018/55/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार